Public Works Department from 14th July, 1987 to 19th August, 1987;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : (a) to (c) Reconsideration of this particular case cannot be determined in isolation. However, this is being examined in the context of Government policy.

उत्तर रेलवे में कनिष्ठ लेखा सहायकों की नियुक्ति

448. **श्री सोहन लाल धुस्सिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में उत्तर रेलवे में नियुक्त किए गए 50 कनिष्ठ लेखा सहायकों को सेवा मुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें परिशिष्ट–ii ए परीक्षा पास न कर पाने के कारण सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें केवल 3 अवसर ही दिये गये हैं जबकि 1986 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 6 अवसर दिये गये थे ; और

(घ) क्या सरकार इन्हें सेवा मुक्त करने की बजाय इन्हें भी 6 अवसर देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे पर 1986 में कनिष्ठ लेखा सहायकों के रूप में 414 स्नातकों की सीधी भर्ती की गई थी । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, जिन्हें जून, 1986 में दोहराये गये थे और उनके नियुक्ति-पत्रों में दिये गये शर्तों के अनुसार सेवा में बने रहने के लिए इन सहायकों को सेवा में आने के 3 वर्षों के अन्दर 2 प्रयासों में परिशिष्ट–ii (आई आर ई एम) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित थी । इन 414 रंगरूटों में 39 परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं जबकि बोर्ड की अनुमति से उन्हें एक अतिरिक्त तीसरा अवसर दिया गया है । तदनुसार उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(ग) सीधे भर्ती किये गये कनिष्ठ लेखा सहायकों के मामले में, परिशिष्ट–ii आई आर ई एम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कभी भी छह अवसरों की अनुमति नहीं दी गयी है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन 39 रंगरूटों को परीक्षा में भाग लेने के लिए 3 अवसर दिये गये हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया जा चुका है, वर्तमान विनियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि सीधे भर्ती किये गये कनिष्ठ लेखा सहायकों को सेवा में आने के तीन वर्षों के अन्दर 2 प्रयासों में परिशिष्ट–ii आई आर ई एम की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । रेलवे बोर्ड की अनुमति से सेवा में आने के 4 वर्षों के अन्दर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त तीसरा अवसर दिया गया है । इस प्रकार, इन 39 उम्मीदवारों, जिन्हें 3 अवसर पहले ही दिये जा चुके हैं, को 6 अवसर देने का कोई इरादा नहीं है । तथापि, सेवा मुक्त कर्मचारी यदि अनुरोध करते हैं तो संबंधित रेलवे यूनिट से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके गुण-दोष के आधार पर उन्हें लेखा विभाग में नयी भर्ती मानते हुए लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त करने के बारे में बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों ।

Harassment to Passengers of Reserved Compartments

449. SHRI NARAYAN KAR :
SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the harassment to railway

passengers of reserved compartments at the hands of unauthorised passengers and railway employees who occupy reserved seats in connivance with the conductors;

(b) if so, the steps Government propose to take by providing armed police to prevent unauthorised persons from entering into such compartments; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Some cases have come to notice.

(b) and (c) Surprise checks and drives are conducted from time to time with the help of GRP and unauthorised passengers found trvelling in reserved coaches are detrained and fined under the provisions of the Railways Act. Wherever the problem of unauthorised entry of passengers in reserved coaches is acute, co-ordination is established with GRP to enlist their assistance to prevent the same.

Stagnation in the cadre of Junior Engineers in C.P.W.D.

450. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to remove stagnation in the cadre of Junior Engineers, in C.P.W.D.; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) In order to remove stagnation in the cadre of Junior Engineers in the C.P.W.D. a second Cadre Review has been undertaken.

Manual handling of night soil

451. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what steps are being taken to eradicate manual handling of night soil;

(b) the amount spent for the last three years for this purpose;

(c) what are the achievements; and

(d) the number of scavengers relieved from this practice, Statewise ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) As part of the Action Plan announced by the Government, the Govt. of India has launched an Integrated Scheme of Low Cost Sanitation and the Liberation of Scavengers.

(b) The amounts spent for the last three years under ongoing schemes, are as follows:—

(i) Loan assistance sanctioned by HUDCO for low cost sanitation schemes to State schemes to State agencies:

1987-88 . .	Rs. 10·75 crores
1988-89 . .	Rs. 8·39 crores
1989-90 . . (upto February, 1990)	Rs. 19·78 crores

(ii) Central assistance to State Governments from the Ministry of Welfare for the liberation of scavengers:

1987-88 . .	Rs. 8·89 crores
1988-89 . .	Rs. 9·45 crores
1989-90 . . (Allocation)	Rs. 10·00 crores